

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

## बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने पर राष्ट्रीय कार्यशाला

Posted On: 21 AUG 2017 2:22PM by PIB Delhi

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अंतर्गत पेशेवर संस्था बौद्धिक संपदा अधिकार संवर्धन और प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम) नई दिल्ली में 22 से 24 अगस्त, 2017 तक बौद्धिक संपदा के अधिकारों को लागू करने के विषय पर तीन दिन की कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।

कार्यशाला में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह होंगे और उदघाटन समारोह में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती निर्मला सीतारमण तथा गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रिजिज़ उपस्थित होंगे।

बौद्धिक संपदा अधिकारों को कारगर ढंग से लागू करने में पुलिस, सीमा शुल्क जैसी एजेंसियों तथा अभियोजन शासा की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन एजेंसियों के अधिकारियों को बौद्धिक संपदा के अधिकारों के बारे में जागरूक करने और प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत बनाने से दैनिक गतिविधियों में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित मामलों से निपटने में मदद मिलेगी।

इस कार्यशाला से बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने के बारे में देशभर की प्रवर्तन एजेंसियों की समझदारी बढ़ेगी और इसके महत्व की जानकारी मिलेगी। इस कार्यशाला से अधिकारियों को अपने अनुभवों को साझा करने, श्रेष्ठ व्यवहारों का आदान प्रदान करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों को लागू करने के मामले में अंतर एजेंसी समन्वय का मंच उपलब्ध होगा।

इसके अतिरिक्त सभी राज्यों के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों तथा नेपाल, भूटान और मालद्वीप के अधिकारियों की एक कार्यशाला सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदाराबाद में आयोजित की गई थी।

बौद्धिक संपदा अधिकारों को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद तथा पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी मेघालय के प्रशिक्षण केलेंडर का हिस्सा बना दिया गया है।

इस साल के शुरू में मंत्रालय ने पूरे देश के पुलिस अधिकारियों के लिए बौद्धिक संपदा संबंधी अपराधों विशेषकर ट्रेड मार्क जालसाजी और कॉपी राइट पॉयरेसी से निपटने के वास्ते टूलकिट लांच किया।

वीके/एजे/एसके - 3478

(Release ID: 1500172) Visitor Counter: 16









in